फर्द अहकाम

मंगलाराम बनाम गीता वगै.

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 154/2011

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/12/19	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित है। प्रतिवादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 5.2.20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
	5/2/20	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है चूंकि वांछित तथ्य रिकॉर्ड शहादत से साबित नहीं होते हैं अतः दावा खारिज किया जाता है आदेश खुले में लिखाया जाकर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

निर्णय

दिनांक :- 5/5/20

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि ग्राम खौरालाडखानी स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र कजोड़ा के नाम दर्ज रही है तथा उनके देहान्त के बाद उक्त आराजीयात से बरामद हुए आराजी हाल खसरा नम्बर 188 से 202 की खातेदारी तो वादीगण के नाम अंकित करदी, किन्तु उक्त आराजीयात के जुज रकबे से बने आराजी हाल खसरा नम्बर 181/0.09 है० को उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 105 से बरामद होना बताने के बजाये आराजी साबिक खसरा नम्बर 102 बिन नम्बर 105 से बरामद होना बताकर गलत एवं गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम तथा उसके बाद वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम सेटलमैन्ट कर्मचारियों ने सेटलमैन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे एवं मौका स्थिति के विपरीत राजस्व रिकार्ड में अंकित करदी। जबकि भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग को पूर्व जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के मुताबिक पूर्ववर्ती रिकार्ड के अनुसार ही वादीगण के नाम खातेदारी अंकित करनी थी। जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा अन्तरण डीड के किसी खातेदार की भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का हक व विधिक अधिकार नहीं था। इसलिए वादीगण उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के लिए कई बार कहा तो पहले तो वे हां करते रहे और अब जमीनों की कीमतें बढ़ जाने के कारण उनके मन में दुर्भावना आ गई और उन्होंने अर्सा एक माह पूर्व उक्त दुरूस्ती करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हें उक्त आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल करके रहेंगे एवं अन्य किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में सफल हो गये और उन्होंने बिना अधिकार गैर कानूनी रूप से वादीगण को बेदखल कर दिया और अन्य दीगर व्यक्तियों के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिये तो वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा। जिससे उन्हें अपूरणीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशी के रूप में नहीं हो सकेगी। जिससे पक्षकारों में अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ और यही बिनाये दावा है।

2. प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 लोक सेवक है, जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस धारा 80(1) सी०पी०सी० के तहत दिया जाना आवश्यक है, जो सम्भव नहीं है। इसलिए धारा 80(2) सी०पी०सी० के तहत अलग से प्रार्थना-पत्र पेश कर नोटिस दिये जाने की छूट एवं दावा दायरी की अनुमति प्राप्त करली है।

3. दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस चस्पा प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाया जावे। हर्जा-खर्चा वाद एवं अन्य सहायता जो उचित हो अता फरमाई जावे।

.③

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

4. दावा प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट हासिल की गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये समन तलबी जारी कार्यवाई गयी।

5. प्रतिवादी संख्या-2 जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह न्यायालय में उपस्थित आये, शेष प्रतिवादीगण बावजूद समन तामील व सूचना के भी हाजिर अदालत नहीं आये, इस कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या-2 व उनके अधिवक्ता को बार बार आने को अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई जवाबदेही नहीं की गयी।

6. वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या-1 मंगलाराम ने अपने स्वयं के व गवाह हनुमान सहाय पुत्र स्व० श्री श्योनाथ जाट के बयानों के शपथ-पत्र पेश किये तथा अभिलेखीय साक्ष्य में नकल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श-1 व 2, मीलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3, साबिक जमाबन्दी सम्वत 2021-2024 प्रदर्श-4 एवं हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-5 व साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श-6 प्रस्तुत की।

7. प्रतिवादीगण की ओर से कोई रिकार्ड शाहदत पेश नहीं की गई एवं न ही वे स्वयं व अधिवक्ता नियत तिथि को हाजिर अदालत आये, इस कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस समाप्त की गई।

8. विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत को इंगित करते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण के अभिवचनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकार्ड व शाहदत का अवलोकन व अनुशीलन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता वादीगण के इस मत से हम पूर्णतया सहमत हैं कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सेटलमेन्ट विभाग को बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान पूर्व राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टियों को ही दोहराना होता है, जब तक की सक्षम न्यायालय से अन्यथा कोई आदेश ना हो। बन्दोबस्त

--(4)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

विभाग के कर्मचारियों द्वारा बगैर सक्षम आदेश या बिना सक्षम दस्तावेजात के यदि खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन किया गया है तो वह अधिकार एवं क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही होने से अवैधानिक है। हस्तगत वाद में हमें मूल रूप से यह देखना है कि क्या बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पूर्व राजस्व अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों के विपरीत हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी परिवर्तित कर उनकी खातेदारी का रकबा कम करके प्रतिवादीगण की खातेदारी के रकबे में शामिल कर उनके नाम अंकित कर दिया? वादीगण के अभिवचनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध उनकी मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2021-2024 प्रदर्श- 4 की प्रविष्टियों से ग्राम खौराबाडरवाली स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र कजा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित है। उक्त आराजीयात का मैट्रिक प्रणाली से हाल रकबा 2.17 हे० बनता है, जिसके मुकाबिले वादीगण के अभिवचनों एवं अभिलेखीय साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 एवं हाल जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 की प्रविष्टियों से आराजी साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नम्बर 188 से 202 कुल किता-15 रकबा 2.17 हे० बरामद होना तथा इसकी खातेदारी वादीगण के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित है। यानि पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड के अनुरूप साबिक रकबे की मात्रा हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान वादीगण की खातेदारी का रकबा साबिक के मुकाबिले हाल रकबा कम निर्धारण किया जाना सिद्ध नहीं होता है।

11. विद्वान अधिवक्ता वादीगण का यह भी कहना था कि रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल खसरा नम्बर 181/0.09 हे० का रकबा इनकी साबिक खातेदारी के खसरा नम्बर 105 के रकबे का जुज है, जो गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 102 मिंजुमले रकबे से बरामद होना बताकर प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दिया, किन्तु इस सम्बन्ध में भी उनकी ओर से आराजी साबिक खसरा नम्बर 102 के कुल रकबे एवं इसमें बरामद हुए रकबे के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं उनके पिता के नाम आराजी साबिक खसरा नम्बर 102 के खातेदारी के रकबे के मुकाबिले कितना

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अधिक हाल रकबे का निर्धारण कर हाल राजस्व रिकार्ड में उनके नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से भी प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 102 मीन से बरामद हुए आराजी हाल खसरा नम्बर 181/0.09 है का रकबा साबिक खसरा नम्बर 105 के जुज रकबे से बनना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र में वर्णित तथ्य रिकार्ड शहादत से साबित नहीं होते हैं। वैसे भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बलाई जाति के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की दृष्टि से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि अन्य संवर्ग के व्यक्ति नाम अन्तरण योग्य नहीं है। यदि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है तो भी वह एक अनाधिकृत अतिक्रमी की हैसियत से है, जो बेदखल किये जाने योग्य है, वादीगण के इसपर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं।

12. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का वाद पक्षसिद्धि के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

13. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/2/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2020.02.17 13:05:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: